23/8/16 आज यह पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वादी ने प्रार्थना प्रस्तुत किया कि वह अपने वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता। वाद पत्र को खारिज करना चाहता है। वादी का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वाद पत्र खारिज किया जाता है। पक्षकार से कथन होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

उप खण्ड अधिकारी
लोहवाशिम (अलवर)

रामकिशोर

कुलदीप
23/8/16.